रेडियो कार्यक्रम - दिन भर

यदि आप अमरीका में हैं तो डायल करें
712.432.6586 पूरा कार्यक्रम
712.432.6585 हेडलाइंस

बुधवार, 25 अगस्त, 2010 को 08:12 IST तक के समाचार

परमाणु विधेयक पर और झुकने के संकेत

विनोद वर्मा
बीबीसी संवाददाता, दिल्ली

परमाणु संयंत्र में होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए कंपनी के साथ आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही तय करने का दबाव है

परमाणु दायित्व विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पारित करवाने में जुटी सरकार ने कहा है कि वह आपूर्तिकर्ताओं को लेकर विवादित हिस्से को विधेयक से हटाने को तैयार है.

मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों ने इस पर आपत्ति की थी.

मंगलवार को वामपंथी नेता सीताराम येचुरी से हुई चर्चा के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री के रुप में कार्य कर रहे पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि विपक्ष ने जिन हिस्सों पर आपत्ति की है उसे सरकार हटाने को तैयार है.

क्या है परमाणु दायित्व विधेयक?

परमाणु दायित्व विधेयक-2010 भारत में असैन्य परमाणु संयंत्र लगाने और चलाने वाली कंपनियों पर किसी दुर्घटना की स्थिति में दायित्व तय करने के लिए लाया जा रहा है.

अमरीका सहित दूसरे परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों से परमाणु संयंत्रों की तकनीक और ईंधन की आपूर्ति इस क़ानून के लागू हो जाने के बाद ही शुरु हो सकेगी.

सरकार चाहती है कि नवंबर में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा से पहले यह क़ानून लागू कर लिया जाए.

संभावना है कि बुधवार को इस विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा.

विवाद

इस विधेयक को पहले संसद की स्थाई समिति को भेजा गया था और समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुराने विधेयक में कुल 18 संशोधन किए हैं.

> मंत्री की बातों से ऐसा लगता है कि सरकार हमारे दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार हैं ख़ासकर आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व को लेकर. लेकिन हमें विधेयक को ध्यान से पढ़ना होगा
>
> सीताराम येचुरी, सीपीएम

जिसमें किसी दुर्घटना की सूरत में दिए जाने वाले मुआवज़े की अधिकतम राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ करना शामिल है.

अब विपक्षी दलों को आपत्ति है कि सरकार विधेयक में परमाणु संयंत्र के लिए आपूर्तिकर्ताओं को बचने का रास्ता दे रही है.

दरअसल विधेयक की धारा 17 में लिखा हुआ है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में उपकरण और ईंधन आदि की आपूर्ति करने वाली की ज़िम्मेदारी तभी होगी जब यह साबित हो जाए कि ऐसा 'जानबूझ कर' या 'इरादतन' किया गया है.

विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसा लिखने से आपूर्तिकर्ता पर ज़िम्मेदारी साबित करना कठिन हो जाएगा.

उनका आरोप है कि सरकार ऐसा अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं को बचाने के लिए कर रही है.

इसी विषय पर अन्य ख़बरें
संदेह के घेरे में परमाणु दायित्व विधेयक
22 अगस्त, 2010
परमाणु दायित्व बिल के मसौदे को मंज़ूरी
20 अगस्त, 2010
परमाणु दायित्व रिपोर्ट पर संसद में हंगामा
18 अगस्त, 2010
परमाणु दायित्व रिपोर्ट पर संसद में हंगामा
18 अगस्त, 2010
पेश हुआ परमाणु जवाबदेही विधेयक
7 मई, 2010
भारतीय परमाणु संयत्र सुरक्षित: चौहान
17 नवंबर, 2009
भारत ने बनाया नया परमाणु संयंत्र
17 सितंबर, 2009

पाठकों की पसंद
न टिकट, न पासपोर्ट, लड़का चला विदेश
एचआईवी के मरीजों को मिल सकता है जीवनदान
प्रधानमंत्री की दाढ़ी में खोजा जा रहा है तिनका
जब आसान जीत को टीवी ने बनाया कांटे की टक्कर..
गुनहगार हूँ तो फांसी पर लटका दो:नरेंद्र मोदी

सुर्ख़ियों में
एचआईवी के मरीजों को मिल सकता है जीवनदान
बाल हटाने के चक्कर में जल रहा है बदन...
प्रधानमंत्री की दाढ़ी में खोजा जा रहा है तिनका
जब एक खिलाड़ी ने तीर से जलाई ओलंपिक मशाल..
गुनहगार हूँ तो फांसी पर लटका दो:नरेंद्र मोदी

सहमति

लेकिन अब सरकार की ओर से कहा गया है कि यदि विपक्ष को इस शब्द पर आपत्ति है तो वह विधेयक में आवश्यक संशोधन करने के लिए राज़ी है.

> भारतीय और विदेशी कंपनियों को देश के परमाणु कार्यक्रम में हिस्सेदार बनाने के लिए विधेयक की धारा 17-बी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए
>
> फ़िक्की

सीपीएम के पोलित ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी से पृथ्वीराज चौहान की मुलाक़ात के बाद येचुरी ने कहा, "मंत्री की बातों से ऐसा लगता है कि सरकार हमारे दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए तैयार हैं ख़ासकर आपूर्तिकर्ताओं के दायित्व को लेकर. लेकिन हमें विधेयक को ध्यान से पढ़ना होगा."

उनका कहना है कि पृथ्वीराज चौहान ने आश्वासन दिया है कि वामपंथी इस विधेयक के लिए जो भी संशोधन सुझाएँगे सरकार सभी प्रासंगिक संशोधनों को स्वीकार करने को तैयार है.

इससे पहले चौहान ने भाजपा के नेता अरुण जेटली से मुलाक़ात की थी.

भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने कहा है, "भाजपा ने अपनी राय दे दी है और अब हम सरकार की ओर से आने वाले प्रारूप का इंतज़ार करेंगे."

उद्योगों को आपत्ति

लेकिन इस विधेयक पर अब औद्योगिक संगठनों की ओर से आपत्तियाँ सामने आ गई हैं.

उनका कहना है कि विधेयक की धारा 17-बी को हटा ही दिया जाना चाहिए क्योंकि उस पर अमल नहीं किया जा सकता.

भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक परिसंघ (फ़िक्की) के अध्यक्ष राजन भारती मित्तल ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में लिखा है, "भारतीय और विदेशी कंपनियों को देश के परमाणु कार्यक्रम में हिस्सेदार बनाने के लिए विधेयक की धारा 17-बी को पूरी तरह से हटा देना चाहिए."

वहीं सीआईआई के निदेशक ने कहा है कि इस धारा में जो प्रावधान किए गए हैं उससे ऐसा लगता है कि यह प्रावधान आपूर्तिकर्ताओं को अलग-थलग करने के लिए किए गए हैं.

उनका कहना है कि 60 वर्षों की संयंत्र की उम्र तक और किसी दुर्घटना की स्थिति में 20 वर्षों तक मुआवज़ा मांग सकने का प्रावधान आपूर्ति की शर्तों के लिहाज़ से बहुत कठिन है.

एक निजी कंपनी के अधिकारी ने एक टेलीविज़न चैनल पर उदाहरण देते हुए पूछा कि भोपाल की गैस त्रासदी एक वॉल्व के ख़राब होने की वजह से हुई थी, अगर किसी संयंत्र में ऐसा होता है तो दस हज़ार रुपए का वॉल्व सप्लाई करने वाली कंपनी 1500 करोड़ रुपए का मुआवज़ा किस तरह दे सकेगी?

मित्र को भेजें   यह पेज प्रिंट करें

बुकमार्क करें:   ये क्या हैं?

Facebook   Delicious   My Space   Twitter

एक नज़र इधर   1 2 3

शर्म करो बीसीसीआई
पुरस्कार समारोह में क्यों नहीं गई टीम?

एक महिला ने...
प्यार के जुनून में किए 65,000 फोन-कॉल

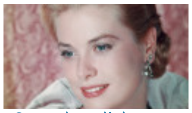

इतिहास के पन्नों से
सोवियत संघ-ब्रिटेन में ठनी, केली की मौत.

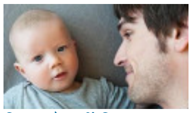

पिता बने नहीं कि..
यौन उत्तेजना और आक्रामकता घटी

सेवाएँ

न्यूज़ फ़ीड   मोबाइल पर ख़बरें   अपनी सामग्री हमें भेजें   बीबीसी हिंदी विजेट

BBC

मोबाइल
विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें
नियम व शर्तें
गोपनीयता
हमारे बारे में
मदद चाहिए
वेबसाइट खोलने में मदद
हमारा पता

BBC © 2012 बाहरी वेबसाइटों की विषय सामग्री के लिए बीबीसी

ज़िम्मेदार नहीं है.